

बिहार सरकार  
गृह (विशेष) विभाग  
अधिसूचना

पटना, दिनांक- , 2016

संख्या-...../राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री राजीव रंजन सिंह, माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग,, अतिरिक्त प्रभार योजना एवं विकास विभाग, बिहार, को नामित किया जाता है।

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत दूसरे सलाहकार के रूप में प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(जितेन्द्र कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2- पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को अधिसूचना की सी0डी0 एवं पाँच हार्ड प्रति के साथ बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2- पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि:- निदेशक, अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/परामर्शी एवं अपर सचिव, अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली/संयुक्त सचिव (क्षेत्रीय परिषद्), अन्तर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2- पटना, दिनांक- , 2016

प्रतिलिपि:- माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार के आप्त सचिव/माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-


सरकार के विशेष सचिव

ज्ञाप संख्या-स्टे0/झा0/वि0-61/2006 भाग-2- पटना, दिनांक- 15-2-2016

प्रतिलिपि:- 1. प्रधान सचिव, गृह विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। कृपया इसे विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।

  
d/f/n/अधिसूचना

  
15.02.16  
सरकार के विशेष सचिव